राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

चौथमल बनाम मनीषा देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
43/2022	
15/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/12/2025 को पेश हो	
18/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक़ एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. की एकपक्षीय बहस समायत करते हुए अन्तरिम आदेश दिनांक 11/06/2018 पारित कर अपीलार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया	तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24/12/2019 पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11/06/2018 को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म फरमा दिया गया	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ग या	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/12/2019 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18/01/2022 को करीबन 2 वर्ष उपरान्त यह अपील इस न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं मियाद का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अपीलार्थी द्वारा सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर डिले कन्डोन करवाना चाहा है, जो उचित प्रतीत नही होता है	अपीलार्थी को प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना कानूनन आवश्यक था	इसके अतिरिक्त मूल वाद दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी का है, जिसका निस्तारण साक्ष्य सबूत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना अभी शेष है	ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त आराजी की यथास्थिति को बनाये रखा जाना नितान्त आवश्यक होना जाहिर होता है ताकि प्रकरण में अनावश्यक पेचीदगीयां उत्पन्न होकर वाद बहुलता नही बढ़े	ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश के माध्यम से विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का पारित आदेश एक उचित एवं न्यायोचित्त आदेश प्रतीत होता है,	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

चौथमल बनाम मनीषा देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

~~जिसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अत. अधीनस्थ~~ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24/12/2019 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9414254847